रजिस्ट्री सं०---डी (डीएन)---128/88

REGISTERED No.—D-(DN)—128/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1989 (माघ 1, 1910)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1989 (MAGHA 1, 1910)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	19
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	43
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	47
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	53
भाग III--खण्ड 2--पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	53
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	63
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	5
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	49
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	43
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	47
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (I)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (II)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (III)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	53
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	53
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	63
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	5
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

भाग I—खण्ड I

[PART I—SECTION I]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications rela tin to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Conrt]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 1989

सं० 1 प्रेज/89. राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुरेश अरोड़ा,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
अमृतसर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

9 मई, 1988 को दिन के लगभग 12.30 बजे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नियंत्रण कक्ष में स्वर्ण मंदिर परिसर के बाहर तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि प्रसाद स्थल के पीछे परिसर के बाहर आतंकवादी ईंटों की एक दीवार बना रहे हैं। यह उस मोर्चा बन्दी का एक भाग था जिससे आतंकवादियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी (मनोहर लाल भवन) जो कि प्रसाद स्थल के सामने थी, के साथ युद्ध में निश्चित रूप से सामरिक लाभ प्राप्त होता। इस सूचना के प्राप्त होते ही श्री एस० एस० विर्क, उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अपने अन्य कर्मचारियों सहित जिसमें श्री सुरेश अरोड़ा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा श्री बलदेव सिंह, पुलिस अधीक्षक (नगर), अमृतसर, सम्मिलित थे, मौके पर पहुंचे तथा आपत्तिजनक निर्माण कार्य होते देखा। जब निर्माण कार्य को बन्द करवाने के प्रयास विफल हो गये तो पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को दीवार गिरा देने के आदेश दिये गये। जैसे ही उन्होंने दीवार गिराने का कार्य आरम्भ किया, आतंकवादियों ने स्वर्ण मन्दिर परिसर के अन्दर से पुलिस को कोई आवरण लेने की चेतावनी दिये बिना स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस गोलीबारी के फलस्वरूप श्री एस० एस० विर्क, उप-महा निरीक्षक, के जबड़े में गम्भीर चोट लगी। श्री सुरेश अरोड़ा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा श्री बलदेव सिंह, पुलिस अधीक्षक, जो कि श्री विर्क के साथ खड़े थे, ने तुरन्त आगे बढ़कर श्री विर्क को आवरण प्रदान किया और आतंकवादियों की तरफ गोलियां चलाई। इसी प्रकार अन्य पुलिस कर्मियों सहित श्री बलदेव सिंह पुलिस अधीक्षक, ने आतंकवादियों पर गोली चलानी शुरू कर दी जिससे कि श्री सुरेश अरोड़ा को आवरण प्रदान किया जा सके और वे श्री विर्क को आतंकवादियों की गोलियों की बौछार से बाहर निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें। श्री अरोड़ा ने असाधारण साहस से काम लिया और सामरिक स्थान परिवर्तन करके आतंकवादियों पर गोलियों की लगातार बौछार करते हुए श्री विर्क को प्रसाद स्थल से ले गये। उस समय तक आतंकवादियों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी पर स्वर्ण मन्दिर परिसर के अन्दर से विभिन्न मोर्चों से पूर्ण रूप से आक्रमण किया जाने लगा। श्री अरोड़ा ने एक नागरिक से स्कूटर लिया तथा श्री विर्क को जी० टी० बी० अस्पताल ले गये। श्री अरोड़ा के इस सामयिक कार्य ने श्री विर्क की जान बचाई। श्री विर्क को अस्पताल के आपातकाल वार्ड में छोड़ कर श्री अरोड़ा स्वर्ण मन्दिर में लौट आये और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियों को सवाबी कार्यवाही करने के लिये संगठित किया। श्री अरोड़ा ने एक दूसरी टुकड़ी के जवानों को सामरिक नीतियों के बारे में हिदायतें देते हुए इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलाबारी से किसी निर्दोष व्यक्ति की जान न जाये। इस कार्यवाही के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके फलस्वरूप स्वर्ण मन्दिर में से अनेक कट्टर आतंकवादियों को हटा पाये।

इस घटना में श्री सुरेश अरोड़ा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 मई, 1988 से दिया जायेगा।

सं० 2 प्रेज/89 राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम व पद

श्री होशियार सिंह,
उप निरीक्षक सं० 620/30859,
पहली बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
अमृतसर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

4 मई, 1987 को रात के लगभग 8.30 बजे, उप निरीक्षक होशियार सिंह जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक प्लाटून के साथ अमृतसर के बाहरी क्षेत्र के कोट खालसा में गश्त ड्यूटी के लिये गये तो उन्हें एक व्यक्ति ने सूचित किया कि 5 युवकों ने गुरु तेग बहादुर नगर में पिस्तौल की नोक पर एक दुकानदार को लूट लिया है। वे तुरन्त दुकान की ओर गये। पुलिस दल को देखकर संदिग्ध आतंकवादियों ने भागने का प्रयास किया। श्री होशियार सिंह ने उन्हें रुकने के लिये ललकारा और अपराधियों का पीछा करना शुरू किया। भागते हुए आतंकवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाईं जिसके परिणामस्वरूप एक कान्स्टेबल की छाती के निकट गोली लगी और वह गिर गया। उप निरीक्षक होशियार सिंह ने अपने 9 एम० एम० पिस्तौल से उग्रवादियों पर जवाब में तुरन्त गोली चलाई। उनमें से एक उग्रवादी, की गर्दन पर गोली लगी और वह गिर गया। उसकी बाद में भूपेन्द्र सिंह के रूप में शिनाख्त की गई। शेष उग्रवादी अन्धेरे का फायदा उठा कर गुरु तेग बहादुर नगर की ओर भागने में सफल हो गये। घायल कान्स्टेबल तथा उग्रवादी को अमृतसर के सिविल अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस दल ने उग्रवादियों का पीछा किया और कोट खालसा के नजदीक इन्द्रा कालोनी में गेहूं के खेत पर पहुंचे। श्री होशियार सिंह ने वैरी लाइट पिस्तौल से गोली चलायी और उसकी रोशनी में चार उग्रवादियों को गेहूं के खेत में छिपे हुए देखा। उन्होंने वैरी लाइट पिस्तौल से एक गोली और चलायी तथा उग्रवादियों को रुकने के लिये ललकारा परन्तु उन्होंने पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस दल ने जवाब में गोली चलाई और लगभग 30 मिनट तक गोली

बारी जारी रही। जब गोली बारी रुकी तो होशियार सिंह और बल ने टार्च की रोशनी में उस क्षेत्र की छानबीन की और उन्हें दो शव मिले। शेष दो उग्रवादी अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गये।

इस घटना में श्री होशियार सिंह पुलिस उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया। यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 4 मई, 1987 से दिया जायेगा।

सं० 3-प्रेज/89:—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुरेश्वर नाथ मल्लिक,
पुलिस उप निरीक्षक,
पुलिस स्टेशन—बछवाड़ा
जिला बेगुसराय,
बिहार

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

17 जून, 1987 को सायंकाल के लगभग 5.30 बजे बछवाड़ा पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक सुरेश्वर नाथ मल्लिक को सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात सशस्त्र अपराधियों का एक दल बालन नदी के दक्षिणी तरफ रूड़ाली गांव के निकट सड़क पर डकैती डालने की योजना बना रहा है। श्री मल्लिक चार सशस्त्र होम गार्डों सहित तुरन्त मौके पर गये और अपराधियों के दल को आम के बाग में बैठे देखा। स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद उन्होंने अपने साथियों को सचेत किया और उस दिशा में जहां उन्होंने आम के बाग में 5-6 व्यक्तियों को पूर्व की दिशा में भागते हुए देखा धीरे-धीरे रेंगते हुए आगे बढ़े। उन्होंने उनको आत्म समर्पण करने के लिये ललकारा परन्तु अपराधियों ने जवाब में पुलिस बल पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलायी। श्री मल्लिक ने अपने साथियों को मोर्चा संभाल कर जवाबी गोली बारी करने को कहा। दोनों ओर से गोलीबारी होती रही। श्री मल्लिक के माथे पर बाईं ओर, गर्दन दोनों हाथों तथा पेट में चोटें आई। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और विचलित न होकर, निडर और दृढ़ बने रहे। अपने घावों की चिन्ता न करते हुए वे अपराधियों की तरफ बढ़े और अपने सर्विस रिवाल्वर से दो राउन्ड गोलियां चलाईं। श्री मल्लिक ने अपने साथियों को प्रेरित किया और कठिन स्थिति का बहादुरी से सामना करने के लिये कहा। पुलिस दल अपराधियों पर गोलियां चलाता रहा। अन्ततः एक अपराधी आम के बाग में गिर गया और उसके फलस्वरूप बाकी अपराधी भी भाग खड़े हुए। मारे गये अपराधी को बाद में बेगुसराय जिले के कारी पासवान के रूप में शिनाख्त की गई जोकि बेगुसराय तथा समस्तीपुर जिलों में अनेक अपराधी गतिविधियों में शामिल था।

इस घटना में श्री सुरेश्वर नाथ मल्लिक, पुलिस उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 17 जून 1987 से दिया जायेगा।

सं० 4-प्रेज/89: राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री राम किशन हुडा,
कान्स्टेबल नं० 610281073,
19 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
भिखीविन्ड।

श्री अनिल कुमार,
कान्स्टेबल नं० 811160241,
19 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
भिखीविन्ड।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

7 सितम्बर, 1987 को कान्स्टेबल राम किशन हुडा तथा कान्स्टेबल अनिल कुमार को अन्य कार्मिकों के साथ 19वीं बटालियन की "ई" कम्पनी के आफिसर कमांडिंग की मार्गरक्षक ड्यूटी के लिये तैनात किया गया था। जिस वाहन में आफिसर कमांडिंग और श्री राम किशन हुडा तथा श्री अनिल कुमार सहित मार्गरक्षी दल थे, वह माड़ी मेघा स्थित "सी" कम्पनी से "ई" कम्पनी मुख्यालय भिखीविन्ड वापस आ रहा था। लगभग रात के 9.50 बजे जब वाहन रोड जंक्शन पर पहुंचा तथा दाईं तरफ मुड़ने के लिये धीमा हुआ तो लगभग आठ दस आतंकवादियों ने, जो कि रोड के बाईं तरफ ऊंची घास के पीछे मोर्चा संभाले हुए थे, अचानक ए० के० 47 चीनी आक्रमक राइफल से गोली बारी कर दी और वाहन में बैठे सभी पुलिस कार्मिकों को घायल कर दिया। गोली लगने के कारण गम्भीर रूप से घायल होने के बावजूद सभी पुलिस कार्मिक वाहन से कूदकर बाहर आ गये और धान के खेत में मोर्चा संभाला और आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं। कान्स्टेबल अनिल कुमार ने अपने दाहिने घुटने के पास गोलियों से हुए घावों की परवाह न करते हुए अपनी 7.62 एम० एम० एस० एल० आर० से तुरन्त 27 राउन्ड गोलियां चलायीं और आतंकवादियों के आक्रमण को विफल कर दिया।

कान्स्टेबल राम किशन हुडा का भी दाहिना हाथ गोली लगने से जख्मी हो गया। वह यद्यपि गम्भीर रूप से घायल हो गये थे परन्तु बिना साहस खोये उन्होंने जवाबी गोली चलाई और आतंकवादियों के आक्रमण को विफल कर दिया। यद्यपि आतंकवादी बेहतर हथियारों से लैस थे, परन्तु श्री राम किशन हुडा तथा श्री अनिल कुमार द्वारा समय पर की गई कार्रवाई से उन्होंने भागना शुरू कर दिया।

सभी घायल कार्मिकों को तुरन्त नजदीक के सिविल अस्पताल भिखीविन्ड ले जाया गया जहां पर एक उप पुलिस निरीक्षक तथा एक कान्स्टेबल (ड्राइवर) को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य घायल व्यक्तियों को बाद में एस० जी० टी० बी० अस्पताल, अमृतसर ले जाया गया और वहां पहुंचने पर एक और कान्स्टेबल को भी मृत घोषित कर दिया गया। अन्य व्यक्तियों के साथ श्री अनिल कुमार तथा श्री राम किशन हुडा को अस्पताल में इलाज के लिये भर्ती किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री राम किशन हुडा और कान्स्टेबल तथा श्री अनिल कुमार, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट, वीरता, साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 सितम्बर 1987 से दिया जायेगा।

मु० नीलकण्ठन, निदेशक

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 1988

संकल्प

सं० I/20012/1/87-रा० भा० (क-1) —राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी। धारा 4(2) के अधीन इस समिति में बीस सदस्य लोक सभा से और दस सदस्य राज्य सभा से नियुक्त किए गए। समिति ने अपने प्रतिवेदन का प्रथम खण्ड राष्ट्रपति को जनवरी 1987 में प्रस्तुत किया, जिसमें समिति ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था, अनुवाद प्रशिक्षण संदर्भ और संपूरक साहित्य के संबंध में अपनी सिफारिशें दी हैं। प्रतिवेदन का प्रथम खण्ड अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार तारीख 8 मई, 1987 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया तथा इसकी प्रतियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भेजी गईं। चूंकि सिफारिशों का संबंध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में होने वाले कामकाज से था अतः इस संबंध में उनसे भी राय ली गई।

2. राज्य सरकारों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधन के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(4) के अधीन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के निम्नलिखित अनुसार आदेश सूचित करने का निदेश हुआ है :—

(क) शेष अनुवाद कार्य को पूरा करना

(1) फार्मों का अनुवाद मुद्रण और प्रयोग

समिति ने यह सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम की उप-धारा 3(3)(ii) के अंतर्गत आने वाले संविदाओं और करारों तथा लाइसेंसों, परमिटों, नोटिसों और टेंडरों के सभी फार्मों का हिन्दी में अनुदित कराने तथा द्विभाषी रूप में छपवाने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए जा सकें या भरे जा सकें।

सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी करे।

(2) कोडों और मैनुअलों आदि के अनुवाद के लिये समय-सीमा का निर्धारण

समिति ने यह सिफारिश की है कि जिन कोडों मैनुअलों का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है, उनके अनुवाद की व्यवस्था तत्काल की जाए, जिससे यह कार्य 1987 के अंत तक पूरा हो जाए।

स.स.त द्वारा निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। शेष अनुवाद कार्य की मात्रा को देखते हुए रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा अनुवाद के लिए शेष अपने कोडों मैनुअलों आदि का तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों आदि के अनूदित न हुए कोडों और मैनुअलों के अनुवाद का कार्य अगले तीन वर्षों में अर्थात् 1991 के अंत तक पूरा किया जाए।

रक्षा मंत्रालय में चूंकि अनुवाद के लिए शेष कोडों और मैनुअलों की संख्या बहुत अधिक है अतः रक्षा मंत्रालय इस कार्य को वर्ष 1991-95 के अंत तक पूरा कर करें।

(3) विधि पुस्तकों और निर्णयों के अनुवाद का कार्य

(I) समिति ने यह सिफारिश की है कि विधि/निर्णय पुस्तका प्रिवी काउंसिल (1837-50) फैडरल-कोर्ट और उच्चतम न्यायालय (1950-1968) द्वारा किये गये निर्णयों के अनुवाद का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए तथा इस कार्य के लिये आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाए।

इस सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया गया है कि जो निर्णय अब प्रासंगिक नहीं हैं, उन्हें छोड़ दिया जाय, जिनका सार देने से काम चल सकता है, उनका सार मात्र तैयार किया जाए और शेष का अनुवाद किया जाय।

अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करे।

(II) संसदीय विधियों का हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद।

समिति ने सिफारिश की है कि राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के पैरा-II के अनुसरण में संसदीय विधियों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कार्य के लिये विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

संसदीय अधिनियमों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का कार्य विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में पहले ही किया जा रहा है। जहां तक विधायकों का संबंध है, सरकारी विधेयकों के अनुवाद का कार्य विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करेगा (प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के हिन्दी अनुवाद का कार्य वर्तमान व्यवस्था के अनुसार लोकसभा या राज्य सभा सचिवालय करेगा। प्रारम्भ में अन्य भारतीय भाषाओं में प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों के अनुवाद का काम भी विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड करे। बाद में इसे लोकसभा और राज्य सभा सचिवालय को सौंपे जाने पर विचार किया जा सकता है।

(iii) राज्यों के अधिनियमों का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ

समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 अनुसरण में राज्यों के अधिनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

राज्यों के अधिनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने का काम राज्य सरकारों का है। इस सिफारिश को आवश्यक कार्रवाई के लिये राज्य सरकारों को भेज दिया जाए।

(4) प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद

समिति ने प्रशिक्षण सामग्री के अनुवाद के संबंध में यह सिफारिश की है कि मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों तथा अन्य स्वायत्त संगठनों आदि के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयुक्त की जा रही प्रशिक्षण सामग्री का हिन्दी में अनुवाद करने के लिये अग्रता के आधार पर तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए तथा इस कार्य की समयबद्ध योजना बनाकर अगले तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाय।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(ख) अनुवाद व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

(5) प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद के लिये व्यवस्था

समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रकार के निर्धारित कोडों/मैनुअलों/फार्मों और प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद की वर्तमान व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाए। यह काम इस समय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय के डाक विभाग तथा दूर संचार विभाग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में किया जा रहा है। समिति ने सिफारिश की है कि यहीं पर यह कार्य किया जाना रहे तथा उन्हें इसके लिये उपयुक्त स्तर के अतिरिक्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सुविधायें तुरंत उपलब्ध कराई जाएं।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

संबंधित मंत्रालय/विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करें।

(6) द्विभाषिकता की नीति के कार्यान्वयन के लिये अनुवाद व्यवस्था।

समिति ने यह सिफारिश की है कि दैनिक तथा सतत् रूप से चलने वाले सामान्य कार्यों में भी सरकार की द्विभाषिकता की नीति के सफल संचालन के लिये लगभग सभी मंत्रालयों/विभागों में अनुवाद व्यवस्था को आवश्यकतानुसार सुदृढ़ करना होगा ताकि राजभाषा नीति संबंधी कार्यान्वयन का कार्य भी पिछड़ने न पाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है।

राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिये आवश्यक निर्देश जारी करें।

(7) राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिये अनुवाद व्यवस्था।

समिति ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के सम्यक अनुपालन के लिये अपेक्षित अनुवाद व्यवस्था के बारे में यह सिफारिश की है कि भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, अन्य संस्थानों आदि के देश-विदेश स्थित ऐसे सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में जहां इस समय एक भी अनुवादक नहीं है वहां भी राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के अनुसार जो-जो कार्य द्विभाषिक रूप में किए जाते हैं, उन्हें द्विभाषिक रूप में ही किया जाय तथा इसके लिये समुचित अनुवाद व्यवस्था की जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों/विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।

(8) उपक्रमों के विधिक साहित्य का अनुवाद

समिति ने सिफारिश की है कि विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड को इस प्रकार सुदृढ़ किया जाय कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के सांविधिक साहित्य के अनुवाद कार्य का दायित्व भी भली भांति वहन कर सके।

इस सिफारिश पर विचार किया गया। विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड केवल सरकारी विभागों और कार्यालयों के विधिक अनुवाद कार्य के लिये है। बैंकों, बीमा कम्पनियों और बड़े उपक्रमों को अपने विधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड उनके मार्गदर्शन के लिये कुछ मानक प्रारूप तैयार कर देगा और विधि अधिकारियों के प्रशिक्षण में भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। छोटे उपक्रमों, जिनके लिये यह व्यवस्था स्वयं करना व्यावहारिक न हो, के लिये उचित व्यवस्था का प्रबंध उद्योग मंत्रालय का लोक उद्यम ब्यूरो स्टैंडिंग कांफ्रेंस आन पब्लिक एंटरप्राइजिज (स्कोप) के माध्यम से या किसी और प्रकार करने का प्रयत्न करे।

(9) अनुवाद सम्बन्धी पदों का सृजन

समिति ने सिफारिश की है कि अनुवाद संबंधी पदों के सृजन की नीति व्यावहारिक और उदार हो और मंत्रालयों, विभागों आदि को स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि जहां हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करना अनिवार्य और अपेक्षित है वहां इसके लिये अनुवाद आदि की नियुक्ति करें। इसके लिये किसी प्रकार की रोक न हो तथा जिन कार्यालयों में 25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हों उनमें भी समुचित अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों, विभागों आदि को अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। जिन कार्यालयों में 25 से कम अनुसचिवीय कर्मचारी काम करते हैं उनमें भी वर्तमान अनुदेशों के अनुसार मानदंड के आधार पर अनुवाद का प्रबन्ध करने के लिये राजभाषा विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(10) अनुवादकों के भर्ती नियमों की पुनरीक्षा करना तथा उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

विभिन्न विषयों से संबंधित सामग्री के अनुवाद के स्तर में सुधार के लिए, समिति ने यह सिफारिश की है कि अनुवादकों के भर्ती नियमों में विशेष प्रकार के कार्यालयों, उपक्रमों आदि की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुभव एवं योग्यता वाले अभ्यर्थियों की भर्ती का प्रावधान रखा जाए। इसके अतिरिक्त भर्ती नियमों की पुनरीक्षा इस प्रकार की जानी चाहिए कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक, विधि, तकनीकी, इंजीनियरी आदि की योग्यता रखने वाले व्यक्ति भी, अंग्रेजी तथा हिन्दी में उच्च प्रवीणता होने पर, विभिन्न राज्य सेवाओं में उच्च पदों पर भर्ती के लिए आकृष्ट किए जा सकें।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग मंत्रालयों, विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(11) अधीनस्थ कार्यालयों में अनुवाद संबंधी पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अलग-अलग संवर्ग गठित करना।

समिति ने यह सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा उपक्रमों को अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अनुवाद संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का भी अलग-अलग संवर्ग गठित करना चाहिए।

यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां संवर्ग का गठन संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाय, जहां यह संभव न हो वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था की जाय। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी करे।

(ग) कोडों मैनुअलों तथा फार्मों का द्विभाषिक निर्माण तथा संशोधन, मुद्रण तथा प्रकाशन वितरण

समिति ने कोडों, मैनुअलों और फार्मों के द्विभाषिक निर्माण, मुद्रण, प्रकाशन और वितरण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(12) द्विभाषिक रूप में निर्माण तथा संशोधन

(i) कोड, मैनुअल तथा फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य के हिन्दी और अंग्रेजी पाठ साथ-साथ तैयार कराए जाएं तथा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों का अनुवाद भी साथ-साथ हो।

(ii) द्विभाषिक रूप में मुद्रण तथा प्रकाशन

जब तक अनूदित अथवा अनुवाद के लिए बाकी कोड, मैनुअल और फार्म, हिन्दी अनुवाद उपलब्ध होने पर, द्विभाषी रूप में तुरन्त मुद्रित/प्रकाशित किये जायें। मुद्रण कार्य में विलम्ब न हो, इसके लिये यदि आवश्यक हो तो मुद्रण का कार्य निजी मुद्रणालयों से करा लिया जाय। यदि इनके द्विभाषिक रूप में मुद्रण/साइक्लोस्टाइल, प्रकाशन अथवा प्रयोग के इस नियम का किसी भी स्थान अथवा स्तर पर उल्लंघन हो तो उसे गंभीरता से लिया जाय।

(iii) द्विभाषिक रूप में वितरण

कोड, मैनुअल, अन्य प्रक्रिया साहित्य तथा फार्म आदि और उनमें समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन मंत्रालयों, विभागों आदि के संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों और संस्थानों आदि में जहां भी इनका प्रयोग अपेक्षित हो, केवल द्विभाषी रूप में ही उपलब्ध करवाए जाएं।

(iv) संगणक शब्दावली की तैयारी

मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमित सांविधिक और असांविधिक प्रकार के कोडों/मैनुअलों, फार्मों और अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद द्विभाषी रूप में मुद्रण और मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी कार्यालयों आदि में उनकी उपलब्धता के बारे में समन्वय की जिम्मेदारी मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए।

उपर्युक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई के लिये आवश्यक निर्देश जारी करे।

(ब) अनुवाद प्रशिक्षण

(13) असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिये प्रशिक्षण

समिति ने अपने प्रतिवेदन में अनुवाद कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि सभी अनुवाद कर्मियों को एक समयबद्ध योजना बनाकर अनुवाद प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिलाया जाए। इसके लिये केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था और सुदृढ़ करनी होगी। जिन अनुवादकों ने अभी तक अनुवाद प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें 1988 के अंत तक यह प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करा दिया जाए। इसके लिये आवश्यकतानुसार कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और गौहाटी जैसे बड़े नगरों के अतिरिक्त प्रत्येक प्रदेश में कम से कम एक अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र तदर्थ आधार पर तुरन्त खोला जाना चाहिए।

जहां तक प्रशिक्षण के लिये शेष सभी अनुवादकों को 1988 के अंत तक प्रशिक्षण दिलाने का प्रश्न है, यह इस अल्पावधि में संभव नहीं है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग प्रशिक्षण के लिये शेष कर्मचारियों को वर्ष 1991 के अंत तक अनुवाद प्रशिक्षण देने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाये और उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करे। अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय आवश्यकता और वित्तीय साधनों को देखकर किया जाये।

(14) विधिक सामग्री के अनुवाद के लिये प्रशिक्षण

समिति ने विधिक अनुवाद प्रशिक्षण के संबंध में यह सिफारिश की है कि विधिक प्रकार का अनुवाद कार्य करने वाले अनुवादकों का स्तर सुधारने के लिये केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो अथवा स्वयं विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा इस संबंध में अपेक्षित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तथा उनके लिये पुनश्चर्या की भी व्यवस्था की जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय का विधायी विभाग विधिक सामग्री का अनुवाद करने वाले अनुवादकों के प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिये आवश्यक व्यवस्था करे।

(15) अनुवाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण

समिति ने अनुवादकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण के संबंध में सिफारिश की है कि प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त अनुवादकों का ज्ञान तथा अनुवाद स्तर बनाये रखने के लिये अनुवाद कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को प्रथम प्रशिक्षण के पांच साल बाद पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिलाया जाय।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में राजभाषा विभाग आवश्यक व्यवस्था करे।

(16) हिन्दी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था

समिति ने यह सिफारिश की है कि हिन्दी अधिकारियों तथा उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिये उच्च कोटि के अनुवाद तथा अनुवाद की पुनरीक्षा के प्रशिक्षण की यथोचित एवं यथावश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, कार्यालयों आदि में सभी स्तरों पर एक अत्यंत कुशल, सुचारु एवं फलीभूत अनुवाद व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग आवश्यक व्यवस्था करे।

(17) एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण होने पर विभागीय प्रशिक्षण

समिति के विचार में अनुवाद कर्मियों के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरित किये जाने पर नये विभाग में विशेष प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। उसने यह सिफारिश की है कि अनुवाद कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण हो तो उन्हें नए विभाग में वहां की विशेष परिस्थिति और शब्दावली आदि समझने और अपनाने के लिये उस विभाग द्वारा लगभग एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाए।

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई। राजभाषा विभाग सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को यह प्रशिक्षण विभागीय रूप से प्रदान करने के लिये आवश्यक निर्देश जारी करे।

(ग) मानक शब्दावली का निर्माण

(18) समिति ने शब्दावली निर्माण के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(i) नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करना

शब्दावली आयोग 1970 के बाद विभिन्न विषयों में प्रचलन में आए हजारों नए शब्दों के मानक पर्याय निश्चित करने का काम तत्काल अपने हाथ में ले और अपने शब्द ग्रंथों को अद्यतन बनाने की दिशा में कदम उठाए।

(ii) शब्दावलियों की आवधिक पुनरीक्षा

समय-समय पर इन शब्दावलियों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और अद्यतन बनाने के लिये इनमें विज्ञान की नई खोजों तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार नई अभिव्यक्तियों के लिये उपयुक्त नए शब्द जोड़े जाने चाहिए।

(iii) निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाना

विभिन्न विभागों की निर्माणाधीन शब्दावलियों के निर्माण के कार्य में तेजी लाई जाए ताकि यह कार्य 1988 तक पूरा कर लिया जाये।

(iv) उच्चस्तरीय समिति का गठन

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सदस्यों के रिक्त स्थान तत्काल भरे जाये तथा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय जो शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में मार्गदर्शन करे।

ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

इसके संबंध मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग अपेक्षित कार्रवाई करे।

विधि शब्दावली की पुनरीक्षा के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड अपेक्षित कार्रवाई करे।

(घ) मानक शब्दावली का प्रयोग, प्रचार-प्रसार और वितरण

(19) समिति ने मानक शब्दावली के प्रयोग तथा उनके प्रचार-प्रसार पर बल देते हुए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

( ) मानक हिन्दी पर्यायों का प्रयोग सुनिश्चित करना

मानक शब्दावलियों में विभिन्न अंग्रेजी शब्दों के लिये जो हिन्दी पर्याय दिये गये हैं अथवा दिये जायेंगे, उनका ही प्रयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे राजभाषा का मानक रूप उभर कर आये।

(ii) प्राध्यापकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन

विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि उपयुक्त शब्दावली के प्रयोग से उनके ज्ञान का विस्तार हो और उनकी भाषायी क्षमता बढ़ सके ।

(iii) अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान

अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान की जाय और सभी आधारभूत शब्दों की सूचियां तैयार कर अहिन्दी भाषी राज्यों में राज्य पुस्तक मंडलों को भेजी जाएं और इन राज्यों में स्थित विद्वानों के सहयोग से शब्दावली कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ।

(iv) शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों का अनुकूलन

शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित शब्द संग्रहों के अनुकूलन के लिए सभी राज्यों में उपयुक्त एजेंसियां स्थापित की जाएं ताकि हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में रचित विज्ञान एवं तकनीकी साहित्य में शब्दावली की अभीष्ट एकरूपता स्थापित हो सके ।

(v) अध्ययन-अध्यापन में मानक शब्दावलियों का प्रयोग

शब्दावली निर्माण में लगे अभिकरण विषयवार सूचियां विद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा प्राध्यापकों को भेजें और राज्यों में जाकर स्कूलों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं आदि का आयोजन करें, जिससे वे नवनिर्मित शब्दों से परिचित हो सकें और अध्ययन-अध्यापन के दौरान उनका प्रयोग कर सकें । ग्रंथ अकादमियों तथा सरकारी प्रकाशन संस्थानों को भी इस ओर अधिकाधिक ध्यान देना होगा ।

(vi) कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी देना

हिन्दी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी अवश्य कराई जाए ताकि वे अपने रोजमर्रा के काम में उसका प्रयोग कर सकें ।

(vii) वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन

सरकारी स्तर पर हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर अधिकाधिक पुस्तकें लिखी जाएं । इस क्षेत्र में निजी प्रकाशकों को भी प्रोत्साहित किया जाए । इन पुस्तकों में प्रकाशन की एक पूर्व शर्त यह हो कि इनमें प्रामाणिक शब्दावली का प्रयोग किया जाए ।

(viii) केन्द्रीय सरकार के कामकाज में मानक शब्दावली का प्रयोग

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग तथा संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्मित विधि, विज्ञान और तकनीकी शब्दावलियों को केन्द्रीय सरकार के कामकाज में, जिसमें कि आकाशवाणी व दूरदर्शन का प्रसारण भी शामिल है समुचित प्रयोग किया जाए ।

(ix) शब्दावलियों का पर्याप्त संख्या में वितरण

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड द्वारा प्रकाशित तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा निर्धारित और प्रकाशित शब्दावलियां सभी कार्यालयों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई जाएं ।

(x) शिक्षा से संबंधित संस्थानों को शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना देना

शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित संस्थानों जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों आदि को भी वर्तमान और भविष्य में निर्मित की जाने वाली शब्दावलियों के बारे में विस्तार से सूचना दी जाए और उनसे आग्रह किया जाए कि विभिन्न विषयों के लिए हिन्दी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाठ्य सामग्री में उसका यथासम्भव व्यवहार सुनिश्चित करें । इसी प्रकार का अनुरोध ग्रंथ अकादमियों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों तथा निजी प्रकाशकों से भी किया जा सकता है कि वे विभिन्न विषयों पर अपने प्रकाशनों में इन शब्दावलियों का भी यथासम्भव प्रयोग करें ।

(xi) शब्दावली बैंक की स्थापना

विधि, विज्ञान, तकनीकी और मानविकी के क्षेत्र में निर्मित शब्दावली के भविष्य में कम्प्यूटर द्वारा इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए शब्दावली बैंक का निर्माण तुरन्त किया जाए । यह कार्य वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा जा सकता है ।

(xii) विधि शब्दावली का न्यायालयों में वितरण

विधायी विभाग द्वारा निर्मित विधि शब्दावली का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इसका प्रतियां देश भर में फैले जैसे न्यायालयों में भी, जहां हिन्दी का प्रयोग किए जाने की सम्भावना हो, निःशुल्क अथवा कम मूल्य पर उपलब्ध रहनी चाहिए ।

(xiii) विधि की पाठ्यपुस्तकों में विधि शब्दावली का प्रयोग

हिन्दी माध्यम से विधि की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की सुविधा के लिए पाठ्य पुस्तकों में भी, चाहे वे विधि पुस्तकों का अनुवाद हों अथवा हिन्दी में मूलतः लिखी जाएं, प्राधिकृत शब्दावली का प्रयोग अपेक्षित है ।

(xiv) विधि शब्दावली का वितरण

विधायी विभाग विधि शब्दावली की अनेकानेक प्रतियां छपवाकर इसके वितरण की व्यवस्था करे, जिससे कि उसका प्रयोग तथा भाषा में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके ।

उपर्युक्त सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ।

मानक शब्दावली का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग ने पहले ही आदेश जारी किए हुए हैं जिसका अनुपालन मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाए । उपरोक्त (vi) बारे भी निर्देश राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाएं ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा विकसित मानक शब्दावली के प्रचार प्रसार और शिक्षा के क्षेत्र तथा पुस्तक प्रकाशन में उसके प्रयोग, शब्दावली बैंक की स्थापना के लिए सिफारिशों में उल्लिखित कार्रवाई शिक्षा विभाग करे ।

इसी प्रकार विधि शब्दावली के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई विधि और न्याय मंत्रालय का राजभाषा खण्ड करे ।

(छ) मूल प्ररूपण

(20) समिति का यह विचार है कि हिन्दी में मूल प्रारूपण किया जाना चाहिए । इस संबंध में समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(i) विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाए ताकि हिन्दी में बनी विधियों का निर्वचन कर निर्णय हिन्दी में लिखे जाएं ।

(ii) भविष्य में नए कोड मैनुअलों आदि का सृजन मूल रूप हिन्दी में किया जाए ।

ये सभी सिफारिशें सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई हैं । यद्यपि अभी इन पर पूरी तरह अमल करना संभव नहीं होगा फिर भी इसके लिए यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए ।

विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण के बारे विधायी विभाग आवश्यक कार्रवाई करे ।

जहां तक कोडों, मैनुअलों का सृजन मूल रूप से हिन्दी में किए जाने का संबंध है, राजभाषा विभाग इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी करे ।

(ज) शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित अन्य सिफारिशें

(21) समिति ने विश्व की अन्य भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान के हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की आवश्यकता पर बल देते हुए यह सिफारिश की है कि देश के अद्यतन विकास के लिए उन्नत देशों की भाषा में प्रकाशित होने वाले ज्ञान-विज्ञान का आवश्यकतानुसार

हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में सीधे और अविलम्ब अनुवाद होना चाहिए, जिसके लिए एक नया संगठन स्थापित किया जाए।

सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा यह कार्य अपने अधीन वर्तमान संगठनों के माध्यम से उन्हें आवश्यकतानुसार सुदृढ़ बनाकर कराया जाए।

तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

(22) ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिए संदर्भ ग्रंथों और संपूरक साहित्य का सृजन

समिति ने ज्ञान-विज्ञान के श्रेष्ठतम साहित्य को छात्र-वर्ग और आम आदमी तक पहुंचने की सिफारिश करते हुए कहा है कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की शब्दावली, परिभाषा कोश, विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ और संपूरक साहित्य का सृजन किया जाए तथा हिन्दी में उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग शिक्षा तथा प्रशासन के कार्यों में किया जाए :

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

(23) हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार

समिति ने हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के बारे में यह सिफारिश की है कि हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य का व्यापक प्रचार किया जाए और इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। मानव संसाधन विकास शिक्षा विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

(24) उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम

समिति ने यह सिफारिश की है कि उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को भी बना दिया जाए।

सिफारिश सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग आवश्यक कार्रवाई करें।

(25) संदर्भ और सहायक साहित्य का निर्माण

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए शब्दावलियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संदर्भ तथा सहायक साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे साहित्य का समुचित रूप से वितरण एवं व्यक्तियों द्वारा प्रयोग भी होना चाहिए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग इस बारे में अपेक्षित अनुदेश जारी करे।

(iii) विधि के क्षेत्र से संबंधित अन्य सिफारिशें

(26) कानून के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा

समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को कानून के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने के लिए एक समन्वित योजना बनाए।

सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। विधायी विभाग इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करे।

(27) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिन्दी पाठ

समिति ने कहा है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसदीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों का हिन्दी पाठ तैयार करने के लिए विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में व्यवस्था नहीं की गई है और सिफारिश की है कि इसके लिए समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए।

यह विषय दिल्ली प्रशासन का है। आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को भेज दिया जाए।

(iv) अनुवाद की भाषा का स्वरूप

(28) समिति ने अनुवाद की भाषा के स्वरूप के संबंध में यह सिफारिश की है कि अनुवाद व्यवस्था में निश्चित रूप से भाषा के उचित स्वरूप को अपनाया जाना भारत की अखंडता तथा एकता के हित में है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 351 में किया गया है :

यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

(v) राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम अनुपालन न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई

(29) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि —

उक्त राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करे। अधिकांश विभागाध्यक्षों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः समिति ने यह सुझाव दिया है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे।

यह सिफारिश इस संशोधित रूप में स्वीकार की गई है कि राजभाषा का कार्यान्वयन प्रेरणा और प्रोत्साहन से किया जाए, पर साथ ही नियमों और और आदेशों आदि के अनुपालन में दृढ़ता बरती जाए। राजभाषा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा उनका अनुपालन किया जाए।

(vi) समिति की उपेक्षा के लिए प्रताड़ना :

(30) कुछ मंत्रालयों/विभागों ने जिनका उल्लेख प्रतिवेदन के पैरा 11.1.2 में किया गया है, समिति को अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जिस पर समिति ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने निर्धारित तारीख तक अपेक्षित सूचना न भेज कर समिति की उपेक्षा की है। इसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाए तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

राजभाषा विभाग समिति की सिफारिश अनुसार यथोचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी करे।

(vii) राज्य सरकारों के संबंधित सिफारिशें

(31) न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण

समिति ने सिफारिश की है कि न्यायिक अधिकारियों के पद के लिए जिन लोगों का चयन किया जाता है उन्हें राज्य की राजभाषा में प्रशिक्षण दिलाए जाए। जिससे वे निर्णय आदि अपने राज्य की राजभाषा में दे सकें। विधि शब्दावली का उन्हें ज्ञान कराने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाए तथा अपर जिला न्यायाधीश और जिला न्यायाधीश जैसे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को राज्य की राजभाषा में काम करने

के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था की जाए जिससे वे अपना काम राज्य की भाषा में कर सकें।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

(32) अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालयों में राज्य की राजभाषा में काम करना

समिति ने सिफारिश की है कि राज्यों को चाहिए कि वे अपने विधि अधिकारियों और अधिवक्ताओं को ये निर्देश दें कि वे न्यायालयों में जहां तक हो सके केवल राज्य की राजभाषा में ही बहस करें ताकि बाद में चलकर सरकारी काम राज्य की राजभाषा में हो सके। ये भी अनिवार्य कर दिया जाए कि याचिकाओं आदि में विधि शब्दावली का ही प्रयोग हो तथा राज्य सरकारें शपथ पत्र, वैध पत्र और लिखित कथन केवल अपने राज्य की राजभाषा में ही प्रस्तुत करें जिससे अन्ततोगत्वा ये कार्य पूरा-पूरा राज्य की राजभाषा में हो सके।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

(33) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय आदि राज्य की भाषा में पारित करना

समिति ने सिफारिश की है कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे अपने निर्णय, डिक्री और आदेश अपने राज्य की भाषा में पारित करें।

इस सिफारिश का संबंध राज्य सरकारों से है। यह सिफारिश उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाए।

(34) समिति की निम्नलिखित सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं। उन पर निर्णय बाद में सूचित किया जाएगा।

(1) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14.4.4 में की गई राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव।

(2) समिति के प्रतिवेदन के पैरा 14·4·7 में उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए हिन्दी के विकल्प की व्यवस्था बारे सिफारिश।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति के सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए:—

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ भारत के, राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

शम्भु दयाल, संयुक्त सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 1988

संकल्प

सं० ई०-11017/5/88 हिंदी (.)- खान विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के गठन से संबंधित इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) के दिनांक 31 10 1988 के समसंख्यक संकल्प में एतद्द्वारा, निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है:—

"गैर-सरकारी सदस्य" सूची में क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित श्री पूरन चन्द्र सहाय, सांसद (लोक सभा) का नाम श्री पूरन चन्द्र, सांसद, (लोक सभा) पढ़ा जाए"।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व, संसदीय राजभाषा समिति और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० दास गुप्ता, निदेशक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर, 1988

संकल्प

सं० 1-1/88-सी० डब्ल्यू०—राष्ट्रीय बाल नीति संकल्प दिनांक 22 अगस्त, 1974 के उपबन्धों के अनुसरण में, बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सेवाओं का आयोजन और पुनर्विलोकन तथा समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्र और मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 दिसम्बर, 1974 को एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना की गई थी।

2. राष्ट्रीय बाल बोर्ड का 27 मई, 1986 को पुनर्गठन किया गया था।

3. राष्ट्रीय बाल बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी पूर्ववर्ती आदेश संकल्प संख्या 1-1/86-सी० डब्ल्यू० दिनांक 27 मई, 1986 के अनुक्रम में, राष्ट्रपति राष्ट्रीय बाल बोर्ड का कार्यकाल 26 मई, 1989 तक बढ़ाते हैं। बोर्ड का गठन अब निम्न प्रकार होगा:

1. प्रधानमंत्री . . . सभापति
2. मानव संसाधन विकास मंत्री . . सदस्य
3. वित्त मंत्री . . . . सदस्य
4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री . सदस्य
5. श्रम मंत्री . . . . सदस्य
6. शिक्षा तथा संस्कृति राज्य मंत्री . . सदस्य
7. कल्याण राज्य मंत्री . . . सदस्य
8. युवा कार्यक्रम, खेल तथा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री . . सदस्य
9. उपाध्यक्ष योजना आयोग . . सदस्य
10. 19—बाल कल्याण का अनुभव रखने वाले 10 गैर सरकारी सदस्य . . .
10. अध्यक्ष . . . . सदस्य
इंडियन एकैडमी आफ पैडियाट्रिक्स कैलाश दर्शन, कनेडी ब्रिज, बम्बई।
11. अध्यक्ष . . . . सदस्य
भारतीय बाल कल्याण परिषद 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, दिल्ली।
12. श्रीमती सारा अली बेग . . सदस्य
आर-8, हौज खास, नई दिल्ली-16।
13. डा० सी० गोपालन . . . सदस्य
डायरेक्टर जनरल, न्यूट्रीशन फाउंडेशन आफ इण्डिया बी-37, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-49।

14. डा० वी० एन० टंडन . सदस्य
हेड, ह्यूमन न्यूट्रीशन यूनिट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

15. श्री हरि डांग . . . सदस्य
प्रिंसिपल, आर्मी पब्लिक स्कूल नई दिल्ली।

16. फादर फलैगिडो फोर्नसिका स्नेह सदन साकाला, अंधेरी ईस्ट, बम्बई।

17. श्रीमती बशीरुद्दीन अहमद सदस्य
अध्यक्ष,
भारतीय ग्रामीण महिला संघ पाम स्प्रिंगस, हुमायूं नगर, हैदराबाद।

18. श्रीमती शोभना राणाडे . . सदस्य
798, भण्डारकर इण्डस्टीट्यूट रोड़, डेकन जीमखाना, पुणे, महाराष्ट्र।

19. डा० के० डी० गंगराडे . सदस्य
समाज कार्य विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली-7।

20-25 राज्य सरकारों के बाल कल्याण के कार्य से संबंधित छः मंत्री

20. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, मेघालय . सदस्य

21. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, उड़ीसा . सदस्य

22. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, हिमाचल प्रदेश सदस्य

23. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, मध्य प्रदेश सदस्य

24. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, कर्नाटक . सदस्य

25. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, महाराष्ट्र . सदस्य

26-27 लोकसभा के दो सदस्य

26. श्रीमती किशोरी सिन्हा . सदस्य
बोरिंग रोड़, पटना बिहार।

27. श्री एन० सोन्दाराजम . . सदस्य
उपाधुर, डाकखाना विर्धु नगर, कामराज जिला, तमिलनाडु।

28. राज्य सभा का एक सदस्य
28. श्री ए० के० एंटोनी . . सदस्य
के० पी० सी० सी० (आई०) आफिस नन्दवनम् जंकशन, त्रिवेन्द्रम।

29. अध्यक्षा . . . सदस्य
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

30. निदेशक . . . सदस्य
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान।

31. सचिव . . . . सदस्य सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

4. बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे:

(1) बच्चों के कल्याण कार्यों से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का नियोजन और पुनरीक्षण करना।

(2) बच्चों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बालू विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयत्नों का समन्वय और एकीकरण करना।

(3) वर्तमान सेवाओं में अन्तरालों का पता लगाने तथा उन अंतरालों को दूर करने के लिए उपाय का सुझाव देना।

(4) विभिन्न कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिकताओं में यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो उन के बारे में समय-समय पर सुझाव देना।

(5) बच्चों के कल्याण के कार्य के प्रति राष्ट्र की वचनबद्धता के प्रतीक के रूप में उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय निकाय के रूप में कार्य करना।

5 बोर्ड की एक स्थाई समिति होगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:

1. युवा कार्यक्रम, खेल तथा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री . . . अध्यक्ष

2. वित्त राज्य मंत्री . . . सदस्य

3. बाल कल्याण के कार्यभारी सदस्य योजना आयोग सदस्य

4. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण उप मंत्री . सदस्य

5. बाल कल्याण के कार्यभारी मंत्री, केरल . सदस्य

6. अतिरिक्त सचिव (स्कूल शिक्षा) (शिक्षा विभाग) सदस्य

7. अतिरिक्त सचिव और परिवार कल्याण कमिश्नर स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय . . . सदस्य

8. अध्यक्षा, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड . सदस्य

9. निदेशक, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान . . . सदस्य

10. अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण परिषद् सदस्य

11. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

पूर्ववर्ती संकल्प सं० 1-1/85-पी० डब्ल्यू० दिनांक 27 मई, 1986 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत ही हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० आर० वेणुगोपाल, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर 1988

संकल्प

सं० 1-14/87-एल० डी० टी०—इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 30 3 1988 के क्रम में यह निश्चय किया गया है कि घोड़ों की देसी नस्लों का संवर्धन करने हेतु उपाय सुझाने के लिए गठित विशेष सलाहकार समिति के अवधि काल को 6 मास अर्थात् 29-3-1989 तक बढ़ा दिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखापाल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को परिचालित की जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० सी० गिरी, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसम्बर, 1988

संकल्प

सं० 401/77/86-टी०वी० इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 1401/77/86-टी०वी०(1) दिनांक 28 सितम्बर, 1987 के आंशिक आशोधन में, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा सीधे आयात के लिए, सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में विशेष समिति द्वारा स्वीकृत, उपस्करों की खरीद के प्रस्तावों को आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षतावाली समिति को नहीं भेजा जाना चाहिये क्योंकि उक्त दोनों माध्यमों द्वारा वर्ष 1988-91 के लिए आयात और निर्यात की निर्धारित नीति के प्रावधानों के अनुसार इन्हें खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी०एल०) के आधार पर आयात किया जा सकता है। तथापि, आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक की अध्यक्षता वाली समिति के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों दूरदर्शन/आकाशवाणी के उपयोग के लिए उपस्कर (विनिर्माण) द्वारा आयात संबंधी विशेष समिति द्वारा उपस्करों के संबंध में सिफारिशकृत आयात लाइसेंसों को, जहां सहयोगी समझौता पूरक मदों के आयात के पक्ष में हों, स्वीकृति देना जारी रखेगा।

2 तथापि, उन उपस्करों के संबंध में जो विशेष समिति द्वारा स्वदेशी निर्णीत किये जाते हैं, इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 28 सितम्बर 1987 में किये गये उपबंध के अनुसार अनुपूरक लाइसेंसिंग समिति को उचित आवेदन करना जारी रहेगा ताकि चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों (पी० एम० पी० एस०) की जांच, अनुमोदन तथा नियमित रूप से मानिटर किया जाता रहे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

र० च० मिश्रा, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 11th January 1989

No. 1-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Suresh Arora,
Senior Superintendent of Police,
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 9th May, 1988, at about 12.30 p.m., information was received in the Central Reserve Police Force Control Room through Central Reserve Police Force posted outside Golden Temple Complex that terrorists were constructing a brick wall outside the complex behind the 'Prasad Point'. This was part of fortification which would have given a definite tactical advantage to the terrorists over the Central Reserve Police Force picket (Manoharlal Building) opposite Prasad Point. On receipt of this information, Shri S. S. Virk, Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force, alongwith other staff including Shri Suresh Arora, Senior Superintendent of Police and Shri Baldev Singh, Superintendent of Polce (City), Amritsar, reached the site and found an objectionable construction in progress. When the efforts to suspend this construction failed, the Police and Central Reserve Police Force Jawans were ordered to demolish the wall. As soon as they started the demolition work the terrorists from inside the Golden Temple Complex opened fire with automatic weapons without giving any warning to Police party to take cover. Shri S. S. Virk, Deputy Inspector General, was seriously injured in his jaw as a result of firing. Shri Suresh Arora, Senior Superintendent of Police, and Shri Baldev Singh, Superintendent of Police, who were standing next to Shri Virk, immediately covered Shri Virk and opened fire towards the terrorists. Similarly other Police personnel including Shri Baldev Singh, Superintendent of Police, started firing towards terrorists to give cover to Shri Suresh Arora to enable him to evacuate Shri Virk to a safer place from the range of terrorists' fire. Shri Arora acted with remarkable courage and moved Shri Virk from 'Prasad Point' by tactically changing his position and continously firing towards the terrorists. By then the attack from the terrorists' side turned into a full-fledged attack on Central Reserve Police Force pickets from various fortified positions inside the Golden Temple Complex. Shri Arora borrowed a scooter from a civilian and drove Shri Virk to GTB Hospital. This daring act of Shri Arora saved the life of Shri Virk. After leaving Shri Virk in the Emergency Ward of the hospital, Shri Arora returned to Golden Temple Complex and organised the retaliatory action by the Central Reserve Police Force pickets. Shri Arora moved from picket to picket and personally briefed the men about the tactics and strategy emphasising the necessity of ensuring that no innocent lives were lost as a result of firing by the Security Forces. He played a very important role in the operation which led to the clearance of Golden Temple of several hard-core terrorists.

In this incident, Shri Suresh Arora, Senior Superintendent of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th May, 1988.

No. 2-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Hoshiar Singh,
Sub-Inspector No. 620130859,
1st Battalion,
Central Reserve Police Force,
Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 4th May, 1987, at about 20.30 hours, when Sub Inspector Hoshiar Singh alongwith a Platoon of Central Reserve Police Force went to Kot Khalsa in the out-skirts of Amritsar for patrolling duty, he was informed by a civilian that five youths had looted a shop-keeper at Guru Tegh Bahadur Nagar at pistol point. He immediately rushed towards the shop. On seeing the Police party, the suspected extremists tried to flee away. Shri Hoshiar Singh challenged them to stop and started chasing the culprits. The terrorists, while running fired at the police party, as a result of which one Constable was hit near his chest and fell down. Sub-Inspector Hoshiar Singh immediately returned the fire from his 9 mm pistol on the extremists. One of the extremists sustained bullet injury on his neck and fell down. He was later identified as Bhupender Singh. The remaining extremists managed to escape under the cover of darkness towards Guru Tegh Bahadur Nagar. After evacuating the injured Constable and the extremists to Civil Hospital, Amritsar, the party chased the extremists and reached Indra Colony wheat field near Kot Khalsa. Shri Hoshiar Singh fired with a Very Light Pistol and in the light saw four extremists hiding in the wheat field. He again fired with another Very Light Pistol and challenged the extremists to stop but they started firing on the Police party. The police party returned the fire and the firing continued for about 30 minutes. When the

firing stopped, Shri Hoshiar Singh and party searched the area with the torch light and found two dead bodies. The remaining two extremists escaped under the cover of darkness.

In this incident, Shri Hoshiar Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th May, 1987.

No. 3-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Sureshwar Nath Mallick,
Sub-Inspector of Police,
Police Station Bachwara,
District Begusarai,
Bihar.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 17th June, 1987, at about 5.30 PM, Sub-Inspector Sureshwar Nath Mallick of Bachwara Police Station received information that a gang of notorious armed criminals was planning to commit road dacoity at the south of Balan river near Rudauli village. Shri Mallick, alongwith four armed Home Guards, rushed to the spot and noticed the criminals gang sitting in the mango orchard. After assessing the situation, he cautioned his men and proceeded gradually towards the direction in a crawling position when he saw about 5-6 persons rushing towards eastern side of the mango orchard. He challenged them to surrender but the desperadoes replied with indiscriminate firing on the police party. Shri Mallick asked his men to take position and return the fire. Firing from both sides continued. Shri Mallick sustained injuries on his left forehead, neck, both fore-arms and abdomen. He did not lose heart and remained stead-fast, undeterred and unnerved. Without caring for his injuries, he moved towards the criminals and fired two rounds from his service revolver. Shri Mallick also inspired his men to face the difficult situation gallantry. The police party kept on firing at the criminals. At last, one criminal fell down in the mango orchard; following this other members of the gang took to their heels. The dead criminal was later identified as Kari Paswan of Begusarai District, who was involved in a number of criminal cases of Begusarai and Samastipur Districts.

In this incident, Shri Sureshwar Nath Mallick, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th June, 1987.

No. 4-Pres/89.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri Ram Kishna Hooda,
Constable No. 710281073,
19 Battalion,
Central Reserve Police Force,
Bhikhiwind.

Shri Anil Kumar,
Constable No. 811160244,
19 Battalion,
Central Reserve Police Force,
Bhikhiwind.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 7th September, 1987 Constable Ram Kishna Hooda and Constable Anil Kumar, alongwith other personnel, were detailed for escort duty of Officer Commanding, 'E' Company of 19 Battalion, Central Reserve Police Force. The vehicle carrying the Officer Commanding and escort, including Shri Ram Kishna Hooda and Shri Anil Kumar, was returning from 'C' Company located at Marimegha to the 'E' Company headquarters, Bhikhiwind. At about 2150 hours while the vehicle approached the road-junction and slowed down to negotiate the turning towards right, terrorists numbering about eight to ten, who had taken position behind the elephant grass on the left side of the road, suddenly opened fire with AK-47 Chinese Assault Rifles and injured all the police personnel in the vehicle. In spite of serious bullet injuries the police personnel jumped out of the vehicle and took position in Paddy field and fired on the terrosists. Without caring for the four bullet injuries on his right knee, Constable Anil Kumar fired 27 rounds from his 7.62 mm SLR rapidly and repulsed the attack of the terrorists.

Constable Ram Kishna Hooda also got bullet injuries on his right hand. Although he was seriously injured, without losing his nerves, he reurned the fire and thus repulsed the attack of the terrorists. The terrorists eventhough equipped with superior weapons started fleeing due to the timely action of Shri Ram Kishna Hooda and Shri Anil Kumar.

All the injured personnel were rushed to a nearest Civil Hospital at Bhikhiwind, where one Deputy Superintendent of Police and a Constable (Driver) were declared dead. The other injured personnel were further evacuated to S.G.T.B. Hospital ,Amritsar and on reaching there another Constable was also declared dead. Shri Anil Kumar and Shri Ram Kishna Hooda alongwith others were admitted in the Hospital for treatment.

In this encounter, Shri Ram Kishna Hooda, Constable and Shri Anil Kumar, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th September, 1987.

S. NILAKANTAN
Director

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE))

New Delhi, the 30th December 1988

RESOLUTION

No. I/20012/1/87-OL(A-1).—The Committee of Parliament on Official Language was constituted under Section 4(1) of the Official Languages Act, 1963 (as amended). In accordance with the provisions of Section 4(2) of the same Act, the Committee was constituted with 20 members of the Lok Sabha and 10 members of the Rajya Sabha. The Committee submitted the 1st part of its Report to the President in January, 1987, wherein it had made recommendations regarding the translation arrangements, training facility in translation and availability of reference and help literature in Central Government Offices. The 1st volume of the Report was placed before both Houses of Parliament on 8th May, 1987 and its copies were duly sent to all the State Governments and Union Territories. As the recommendations concerned the transaction of official business in various Ministries/Departments, their opinion was also taken.

2. After considering the views expressed by State Governments, a decision was taken to accept most of the recommendations made by the Committee either in their original form or with some modification. Accordingly, the undersigned has been directed to notify the following orders of the President under Section 4(4) of the Official Languages Act, 1963, on the recommendations of the Committee :

(A) *Completion of the remaining translation work*

(1) *Translation, printing and use of forms*

The Committee has recommended that arrangements should be made for getting all forms pertaining to contracts, agreements, licences, permits, notices and tenders covered by subsection 3(3)(iii) of the Official Languages Act translated into Hindi and printed in bilingual form as early as possible so that these could be issued and made use of both in Hindi

and English. The Government has accepted this recommendation. The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, may issue necessary directions to various Ministries/Departments etc. to take appropriate action in this regard.

(2) *To fix a time limit for the translation of codes and manuals etc*

The Committee has recommended that arrangements should be made immediately for the translation of all Codes and Manuals which yet remain to be translated so that the work of their translation is completed by the end of year, 1987.

The period fixed by the Committee has already expired. Taking into view the volume of translation work yet to be done, the Ministry of Railways, the Ministry of Communications and the Comptroller and Auditor General of India should complete the translation of their remaining Codes and Manuals and the Central Translation Bureau the translation of the remaining Codes and Manuals of all other Ministries/Departments etc. within the next three years, i.e. by the end of 1991. Since in the case of Ministry of Defence the number of Codes and Manuals which remain to be translated is quite large, it should complete this work by the end of 1994-95.

(3) *Translation of law books and judgements*

(i) The Committee has recommended that the work of translating law bookes and judgements delivered by the Privy Council (1937—1950), Federal Court and Supreme Court (1950—1968) should be completed as early as possible and requisite number of additional posts should be created for this purpose.

This recommendation has been accepted with this modification that those judgements which are no longer relevant may be left out, only summaries may be prepared in case of those judgements where these will serve the purpose and the remaining judgement should be got translated. The Official Language Wing of the Legislative Department under the Ministry of Law and Justice may take necessary action in this regard.

(ii) *Translation of Parliamentary Legislation into Hindi and Regional Languages*

The Committee has recommended that in pursuance of the para 11 of the Presidential Order, 1960 necessary arrangement for the translation of Parliamentary legislations into Regional languages should be made in the Official Language Wing of the Legislative Department

The work of translating Parliamentary enactments into Regional languages is already being done in the Official Languages Wing of the Legislative Department. So far as the bills are concerned, the work of translating Government Bills may be done by the Official Language Wing of the Legislative Department. The work of translating Private Members Bills into Hindi will, as per present arrangements, continue to be done by Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat. In the beginning, the Official Language Wing of the Legislative Department may also do the work of translating Private Members bills into Regional Languages. The question of entrusting this work to the Lok Sabha or Rajya Sabha Secretariat may be considered later on.

(iii) *Authorised Hindi text of State Government Acts*

The Committee has recommended that necessary arrangement may be made in the Official Language Wing of the Legislative Department for preparing authorised Hindi Texts of the State Acts as required by Section 6 of the Official Languages Act 1963

The responsibility for preparing authorised Hindi text of State Acts is that of State Governments. This recommendation may be sent to the State Governments for taking necessary action.

(4) *Translation of training material*

The Committee has recommended that immediate steps should be taken to translate the training material in use in the training institutes of Ministries/Departments, Undertakings and other Autonomous Organisations etc. and the work should be completed within next 3 years by formulating a time bound programme

The recommendation has been accepted. The Department of Official Language has issued necessary instructions to Ministries/Departments for taking appropriate action in the matter. The Ministries Departments may ensure compliance of these instructions.

(B) *Strengthening of translation arrangements*

(5) *For the translation of procedural literature*

The Committee has recommended that the existing arrangement for the translation of various types of prescribed Codes/Manuals/Forms and other procedural literature should be strengthened commensurate with the needs of this work. At present this work is being done in Central Translation Bureau of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, the Ministry of Railways, Ministry of Defence, Department of Posts and the Department of Tele-Communications under the Ministry of Communications and the Legislative Department of the Ministry of Law and Justice. The Committee has recommended that this work should continue to be done there and the additional staff/officers of appropriate level should be provided immediately to them for this purpose.

This recommendation has been accepted. Concerned Ministries/Departments may take necessary action in this matter.

(6) *Translation arrangements for the successful implementation of the Government Policy of bilingualism*

The Committee has recommended that the translation arrangement will have to be strengthened further according to needs in almost all Ministries/Departments for successful implementation of the policy of bilingualism even for their day-to-day and continuous type of general work, so that work relating to implementation of the Official Language Policy does not lag behind.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may issue necessary instruction to all Ministries/Departments etc. to take necessary action.

(7) *Translation arrangements for the implementation of Official Languages Act and the Rules framed thereunder*

About the translation arrangements to be made for the due compliance of the Official Languages Act and the Rules framed thereunder, the Committee has recommended that in all the subordinate/attached offices of the Ministries/Departments of Government of India, Undertakings and other institutions, whether located in India or abroad, where there is not even a single translator at present, all the work required to be done in both the languages under the Official Languages Act and the Rules framed thereunder should be done bilingually and requisite arrangement should be made for this purpose.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, may issue directions to all the Ministries/Departments etc. to take necessary action.

(8) *Translation of statutory literature of Public Undertakings*

The Committee has recommended that the Official Language Wing of the Legislative Department should be strengthened in such a manner that it is able to discharge properly the responsibility of translating the statutory literature of the public sector undertakings

The recommendations was duly considered. The Official Language Wing of the Legislative Department is meant for the translation of statutory material of Government Departments and offices, Banks, Insurance Companies and large undertakings should make their own arrangements for the translation of their statutory material. For their guidance the Official Language Wing of the Legislative Department will provide to them some standard drafts and also extend to them its full cooperation in training their law officers in this respect. For smaller undertakings, for whom it is not feasible to make this arrangement, the Bureau of Public Enterprises may make requisite arrangements either through Standing Conference on Public Enterprises (SCOPE) or in some other way

(9) *Creation of posts connected with translation work*

The Committee has recommended that the policy for creation of posts connected with translation work should be practical and liberal. Clear instructions should be issued to Ministries/Departments etc. that whenever it is necessary and obligatory to work in both Hindi and English, translators etc. should be appointed for this purpose. There should be no restriction of any kind in this regard. In offices with a strength of less than 25 members of ministerial staff also proper arrangements for translation should be made.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language of the Ministry of Home Affairs may issue directions to Ministries/Departments etc. to take necessary action. For offices, where there are less than 25 persons in the Ministerial Staff, the Department of Official Language may also issue necessary instructions to them to arrange translation on honorarium basis as per existing instructions.

(10) *To re-examine the recruitment rules for translators and amend them as needed*

With a view to improving standard of translation of material or different subjects, the Committee has recommended that the recruitment rules for translators should have provision for the induction of candidates with experience and ability commensurate with the specific requirements of special types of offices/ undertakings etc. Besides, recruitment rules should be revised in a manner so that persons with qualifications in law, engineering, science, technology etc. and with a high proficiency in English and Hindi are attracted to the higher posts in the Official Language Services.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs may issue directions to Ministries/Departments etc. to take necessary action in this matter.

(11) *To form separate cadres of officers, persons engaged on translation work in subordinate offices*

The Committee has recommended that the various Ministries/Departments/Undertakings should form in their subordinate offices separate cadres of officers/persons engaged on translation work for implementing the Official Language Policy.

This recommendation has been accepted with this modification that cadres may be formed where it is feasible. Where it is not feasible, other arrangements may be made to provide avenues for promotion to the staff. The Department of Official Language may issue instructions for taking necessary action in this matter.

(C) *Bilingual preparation of codes, manuals, forms and amendments thereof as well as their printing, publication and distribution*

The Committee has made the following recommendations for the preparation, printing, publication and distribution of codes, manuals and form in bilingual form.

(12) *Preparation and amendment in bilingual form*

(i) Arrangements should be made for the preparation of Hindi and English texts of all codes/manuals/forms and other procedural literature simultaneously. Amendments made in them from time to time should also be got translated side by side.

(ii) *Printing and publication in diglot form*

Codes/manuals and forms which have been already translated and those which are yet to be translated, should be printed, published in bilingual form soon after their Hindi translation is made available. If deemed necessary to avoid delay in their printing, they may be got printed from private presses. If there is violation of this rule at any place or level, it should be viewed seriously.

(iii) *Distribution in bilingual form*

Codes/manuals and forms and other procedural literature and amendments made in them from time to time should be made available in bilingual form to the attached/subordinate offices and undertakings and institutions etc. wherever they are required to be used.

(iv) *Appointing of Coordinating Officers*

In the Ministries/Departments, a senior officer should be appointed as a Coordinating Officer with the responsibility to coordinate all the work pertaining to translation of prescribed statutory/non-statutory codes manuals/forms and other procedural literature and their printing and availability in bilingual form to all the offices of Ministries/Departments.

The above recommendations have been accepted. The Department of Official Language under the Ministry of Home Affairs may issue directions to all Ministries/Departments etc. to take necessary action in the matter.

(D) *Training in translation*

(13) *Training in translation of non-statutory literature*

In its report the Committee has stressed upon the need for imparting training to the translation personnel. In this matter the Committee has recommended that all the translation personnel should be imparted training in translation compulsorily under a time-bound programme. For this purpose Central Translation Bureau will have to further strengthen its training set-up. All translators who have not so far received training in translation should be imparted this training at the most by the end of 1988. For this purpose, apart from big cities like Calcutta, Madras, Ahmedabad and Guwahati at least one Training Centre in each State should be immediately set up on ad hoc basis.

So far as the question of imparting training to all the translators by the end of 1988 is concerned, it is not practicable in such a short period. The Department of Official Language in the Ministry of Home Affairs may evolve a timebound programme for imparting training to all the personnel by the end of 1991 and make necessary arrangements for it. The decision to open new training centres may be taken keeping in view the need and the available financial resources.

(14) *Training for the translation of statutory literature*

In respect of the training for the translation of statutory literature, the Committee has recommended that in order to improve the standard of translators engaged in the translation of statutory literature, either Central Translation Bureau or the Ministry of Law and Justice itself should make requisite arrangements for imparting necessary training in this regard and also make necessary arrangements for imparting refresher training to them.

This recommendation has been accepted. The Legislative Department in the Ministry of Law and Justice may make necessary arrangements for imparting training to translators engaged in the translation of statutory literature as well as refresher training to them.

(15) *Refresher Training in translation*

Regarding refresher training for translators, the Committee has recommended that in order to maintain the level of knowledge and standard of translation of the trained and experienced translators, a refresher course in translation should be conducted for translation staff after 5 years of their initial training.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may make necessary arrangement in this respect.

(16) *Arrangement regarding training for Hindi Officers and Officers of higher rank*

The Committee has recommended that appropriate and requisite arrangements for imparting training of a high standard in translation and vetting thereof should be made for officers of the rank of Hindi Officers and above in order to provide an efficient, smooth and prompt translation machinery at all levels in all Ministries, Departments, Undertakings and Offices etc.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language in the Ministry of Home Affairs may make necessary arrangements in this respect.

(17) *Departmental training on transfer from one Department to another*

The Committee is of the view that on the transfer of translation personnel from one Department to another Department, it is necessary that they are given special training in the new Department. The Committee has, therefore, recommended that arrangements should also be made for imparting special training for about a week's time for officers and staff engaged on translation work on their transfer from one Department to another so as to enable them to have a grasp of the peculiar environment and terminology etc. pertraining to the new Department.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may issue necessary directions to all Ministries/Departments etc. to provide this training departmentally.

(E) *Evolving of standard terminology*

(18) The Committee has made the following recommendations in regard to evolving of terminology :—

(i) *Finalising standard Hindi equivalents of new words*

The Commission for Scientific and Technical Terminology should immediately undertake the task of finalising standard Hindi equivalents of thousands of new words which have come into being in various subjects after 1970 and should take steps to update their glossaries.

(ii) *Periodical review of glossaries*

These terminologies should be reviewed from time to time and appropriate new words relating to new expressions coming up on account of scientific innovations and other developments should be added therein to make them up-to-date.

(iii) *To expedite the finalisation of terminologies presently being evolved*

The work relating to the evolution of terminologies on various subjects which is presently in progress should be expedited so that it is completed by the end of the year, 1988.

(iv) *Constituting a high level Committee*

The vacancies in the membership of the Commission for Scientific and Technical Terminology should be immediately filled up and a High Level Committee should be constituted to provide guidance in the field of evolution of terminology.

These recommendations have een accepted. The Department of Education under Ministry of Human Resources Development may take necessary action. Regarding review of legal terminology, the Official Language Wing of the Legislative Department under Ministry of Law and Justice may take necessary action.

(F) *Use, propagation and distribution of standard terminology*

(19) Emphasising the need for the use and propagation of the standard terminology, the Committee has made the following recommendations :—

(i) *To ensure the use of standard Hindi equivalents.*

To use of Hindi equivalents for various English terms as are given or as may be given in the standard glossaries should be ensured so that a standard form of the Official Language could be evolved.

(ii) *To organise workshops for teachers*

Workshops on terminology should be organised for teachers in various Universities so that their knowledge of the use of precise terms get enlarged and their lingulstic capabilities are enhanced.

(iii) *Indentifying all India terminology*

After identifying the all India terminology, lists of all the basic terms should be prepared and sent to the Text-book Boards of non-Hindi speaking States and also workshops on terminology organised in cooperation with the scholars of these States.

(iv) *Adaptation of glassaries published by the Commission for Scientific & Technical Terminology*

For the adaptation of glossaries published by the Commission for Scientific & Technical Terminology, proper agencies should be set up in all States so that there is uniformity of terminology in the Scientific & Technical literature written in Hindi and Other Indian Languages.

(v) *Use of standard terminology in study and teaching*

Agencies engaged in the work of evolving terminology should send subject wise lists of terms to schools, Universities and teachers and go to States and organise seminars and workshops for the teachers of schools and Universities so that they may become conversant with newly evolved terms and make use of them in their study and teaching.

(vi) *To impart knowledge of technical terminology in workshops*

In workshops organised to facilitate work in Hindi, Officer/staff should be invariably familiarised with technical terminology so that they are able to use it in their day-to-day work.

(vii) *Writing of books in Hindi on scientific & technical subjects*

More and more books should be written on scientific and technical subjects in Hindi at Govt. level. In this field private publishers may also be encouraged. A pre-condition for the publication of these books should be that authentic terminology will be used in them.

(viii) *Use of standard terminology in the official work of Central Govt.*

Legal, scientific and technical terminologies, evolved by the Commission for Scientific & Technical Terminology and concerned Ministries, should be appropriately used in the official work of the Central Government, including broadcasts over All India Radio and telecasts on Doordarshan.

(ix) *Distribution of glossaries in adequate number*

Glossaries published by the Commission for Scientific and Technical Terminology and the Official Language Wing of the Legislative Department and also those prepared and published by other Ministries should be made available to all Government Offices in adequate number according to their requirements.

(x) *Provision of detailed information about glossaries to institutes concerned with education*

Institutes related to the field of education e.g. National Council of Educational Research and Training, University Grants Commission and Universities etc. should be provided with detailed information about the existing glossaries as well as about those glossaries that might be brought out in future and they should be urged to ensure their use to the possible extent in the study material to be prepared in Hindi and other Indian languages on different subjects. Similar requests could also be made to the Granth Academies, Government Bodies engaged in publishing work and private publishers to make use of those terminologies, as far as possible in their publications on varius subjects.

(xi) *Establishing a Terminology Bank*

Taking into account the future use of terminology evolved in the fields of Law, Science, Technology and Humanities by computors, a Terminology Bank should be established immediately. This work could be assigned to Commission for Scientific & Technical Terminology.

(xii) *To make available copies of legal glossary to courts*

To ensure extensive use of the legal glossary prepared by the Legislative Department, its copies should be made available free of cost or at nominal price to all such courts throughout the country where there is likelihood of the use of Hindi.

(xiii) *Use of legal terminology in text-books of law*

For the convenience of students studying law through Hindi medium, authentic legal terminology should be used in text books of law, whether they are translated or originally written in Hindi.

(xiv) *Wide distribution of legal glossary*

The legislative Department should get large number of copies of legal glossary printed and arrange for its wide distribution so as to ensure its use and achieve uniformity in language. All these recommendations have been accepted. To ensure use of the standard terminology in Government offices the Department of Official Language has already issued necessary orders, the compliance of which should be ensured by all Ministries and Deptts etc. The Deptt. of Official Language may also issue directions in regard to (vi) above.

Department of Education may take necessary action as onvisaged in the recommendations for the propagation of standard terminology evolved by the Department for its use in the field of education and in the publication of books and for the establishment of Terminology Banks.

Similarly in relation to legal glossary, the Official Language Wing of the Legislative Department may take necessary action.

(G) *Original drafting*

(20) (i) *Use of Hindi in legal drafting*

In the field of law, orlginal drafting should be done in Hindi so that laws enacted in Hindi are interpreted in Hindi and decisions written in Hindi.

(ii) *Original drafting of codes, manuals etc. in Hindi*

In future all new codes, manuals etc. should be prepared originally in Hindi.

These recommendations have been accepted in principle. Although at present it may not be possible to implement them fully, yet efforts may be made in this direction as far as possible. Regarding original Hindi drafting in the field of law, the Legislative Department may take necessary action. So far as the question of preparing codes and manuals originally in Hindi is concerned, the Department of Official Language may issue necessary directions to all Ministries and Deptts. etc.

(H) *Other recommendations related to the field of Education*

(21) (i) *To set up an organisation for direct and prompt translation of knowledge and information into Hindi and other Indian languages.*

While emphasising the need for translating into Hindi and other Indian Languages all the scientific and technical knowledge available in other languages of the world, the Committee has recommended that for the advancement of the country it is necessary that material containing up-to-date knowledge brought out in the languages of the developed countries of the world, should be directly and without any delay got translated into Hindi and other Indian languages. It has further recommended that for this purpose a new organisation may be set up.

This recommendation has been accepted with this modification that the Department of Education under the Ministry of Human Resource Development may get this work done through existing organisations under it by strengthening them as per the requirements of this work.

The Department of Education under Ministry of Human Resource Development may take necessary action in this regard accordingly

(22) *Making finest literature in various branches of knowledge accessible to students and common man.*

The Committee has recommended that the finest literature in various branches of knowledge should be made accessible to students and the common man. For this purpose in keeping with their requirements a large number of glossaries, definitional dictionaries, University level books, reference books and supplementary literature in various disciplines of Science and Technology should be prepared. Besides, whatever scientific and technical knowledge is available in Hindi, should more and more be used for educational and administrative purposes.

This recommendation has been accepted. The Department of Education under Ministry of Human Resources Development may take necessary action in this regard.

(23) *Wide publicity to scientific and technica literature published in Hindi*

The Committee has recommended that whatever scientific and technical literature has been published in Hindi should be given wide publicity and this work should be stepped up.

This recommendation has been accepted. The Department of Education under Ministry of Human Resource Development may take necessary action in this regard.

(24) *Medium of teaching in Higher Education*

The Committee has recommended that, in addition to English, Hindi and other Indian languages should also be made medium of teaching at the level of higher education.

This recommendation has been accepted in principle. In this regard the Department of Education under Ministry of Human Resource Development, the Department of Health and Family Welfare and the Department of Agricultural Research and Education may take necessary action.

(25) *Preparation of reference and help literature*

The Committee has recommended that for the smooth and successful functioning of translation arrangements in various offices of the Central Government, in addition to the work of preparing of glossaries, the process of preparation of other types of reference and help literature should also continue. For this purpose short term and long term plans, as may be needed, should be prepared. With this end in view, private organisations should also be encouraged. Such literature should also be distributed properly amongst the officers and be used by them.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may issue necessary instructions in this regard.

(I) *Other recommendations relating to Law*

(26) *Stablishing Indian Languages in the sphere of Law*

The Committee has recommended that the Central Government should in consultation with State Governments, formulate an integrated scheme to establish Hindi and other Indian languages in the legal sphere.

This recommendation has been accepted. The Legislative Department may take necessary action in this regard.

(27) *Preparation of Hindi Text of rules framed by the Union Territory of Delhi under Parliamentary Legislation*

The Committee has observed that no arrangements havo been made in the Official Language Wing of the Legislative Department for the preparation of the Hindi text of rules framed by the Union Territory of Delhi under Parliamentary Legislation. It has accordingly recommended that suitable arrangements should be made for this purpose.

This item of work is the responsibility of the Delhi Administration. Accordingly this recommendation may be referred to the Administration of the Union Territory of Delhi for taking necessary action.

(J) *Form of language to be used in translation*

(28) About the form of language to be used in translation, the Committee is of the view that in translation the adoption of the form of language as provided in Article 351 of the Constitution is in the interest of the unity and integrity of India.

This recommendation has been accepted. The Department of Official Language may issue necessary directions to all the Ministries/Departments etc. in this regard.

(K) *Stringent action against officials responsible for the non-compliance of the provisions of Official Languages Act and Official Language Rules*

(29) Rule 12 of the Official Language Rules, 1976 assigns to the administrative head of each office of the Central Government the responsibility to ensure proper compliance of the provisions of the Official Languages Act and the Official Language Rules. A large majority of the heads of Departments have not been complying with the Official Languages Act and the Rules. The Committee has suggested that Government should take necessary steps in this regard and take stringent action against erring officials.

This recommendation has been accepted with this modification that the work relating to the implementation of the official language should be done through pursuation and encouragement, but at the same time compliance with rules and orders etc. should be strictly ensured.

The Department of Official Language has issued necessary directions in this regard. Ministries/Department etc. may ensure their compliance.

(L) *Censure for disregarding the directions of the Committee*

(30) Some of the Ministries/Departments, whose names figure in para 14.1.2 of the report, failed to furnish the requisite information to the Committee by the Scheduled date. While expressing its displeasure for the lapse the Committee felt that non-furnishing of the requisite information tantamounts to disregard of the Committee. For this they deserve to be censured. Accordingly stringent action should be taken against the concerned officials It should also be ensured that in future there is no slackness in furnishing any information called for by the Committee.

The Department of Official Language may issued directions to the concerned Ministries/Departments to take necessary action in keeping with this recommendation of the Committee.

Recommendations relating to State Governments

(31) *Imparting training to Judicial Officers for doing work in the official languages of the states*

The Committee has recommended that persons selected for the posts of Judicial Officers to imparted training in the Official Language of the State to enable them to deliver their judgements etc. in it. Workshops may be organised to familiarise them with the legal terminology. Workshops on similar lines may also be organised for senior judicial officers like Additional District Magistrates and District Magistrates so that they are able to carry out their work in the official language of the State.

This recommendation relates to State Governments. Accordingly it may be forwarded to them for necessary action.

Use of the Official Language of the State in courts by Law Officers and advocates

(32) The Committee has recommended that the State Governments should direct their Law Officers and advocates to argue in the courts only in the State language as far as possible so that later on the entire official work could be done in the official language of the State. It should also be made obligatory that in petitions etc. only the authentic legal terminology be used. The State Governments should file their affidavits, plaints and written statements only in the official language of the State so that ultimately the entire work is done in the official language of the State.

This recommendation relates to States. Accordingly it may be forwarded to them for necessary action.

(33) *Passing of orders etc. by the subordinate courts in the Official Language of the State*

The Committee has recommended that it should be made obligatory for the subordinate courts to pass their judgements, decrees and orders in the Official Language of the State.

This recommendation relates to State Governments. Accordingly it may be forwarded to them for necessary action.

(34) The following recommendations of the Committee are still under consideration, decision on which would be intimated later :—

(1) The proposal to amend Section 7 of the Official Languages Act, 1963, as per recommendation made in para 14.4.4 of the report of the Committee

(2) The recommendation made in para 14.4.7 of the report of the Committee to provide for the alternative use of Hindi in the proceedings of the Supreme Court.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission Comptroller and Auditor General of India, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. DAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 23rd December 1988

RESOLUTION

No. E-11017/5/88-Hindi.—The Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) Resolution of even number dated 31st October, 1988, regarding constitution of Hindi Salahkar Samiti for the Department of Mines, is hereby, partially amended as under :—

"The name of *Shri Puran Chandra Sahay*, MP., (Lok Sabha) at S. No. 2 under the head of non-Official members may be read as *Shri Puran Chandra*, M.P. (Lok Sabha)".

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and the Administrators of the Union Territories, Office of the Prime Minister, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General of Central Revenue, Parliamentary Official Language Committee and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. DAS GUPTA, Director

MINISTRY OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 22nd December 1988

RESOLUTION

No. 1-1/88-CW.—The National Children's Board was constituted on 3 December 1974 with the Prime Minister as President in pursuance of the provisions in the National Policy for Children Resolution dated 22 August, 1974 to provide a national forum for planning, review and coordination of the services aimed at meeting the needs of children.

2. The National Children's Board was last reconstituted on 27 May 1986.

3. In continuation of the earlier orders in Resolution No. 1-1/86-CW dated 27 May 1986 re-constituting the National Children's Board, the President is pleased to extend the term of the National Children's Board upto 26 May 1989.

The Board will now have the following composition :

CHAIRMAN

1. Prime Minister

VICE-CHAIRMAN

2. Minister of Human Resource Development

MEMBERS

3. Minister of Finance
4. Minister of Health and Family Welfare
5. Minister of Labour
6. Minister of State for Education and Culture
7. Minister of State for Welfare
8. Minister of State in the Departments of Youth Affairs, Sports and Women and Child Development
9. Deputy Chairman Planning Commission

10-19 *Ten non-officials with experience in Child Welfare*

10. President
Indian Academy of Paediatrics
Kailas Darshan Kennedy Bridge
Bombay-7
11. President
Indian Council for Child Welfare
4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
New Delhi
12. Smt. Tara Ali Baig
R-8, Hauz Khas
New Delhi
13. Dr. C. Gopalan
Director General
Nutrition Foundation of India
B-37, Gulmohar Park
New Delhi-49
14. Dr. B. N. Tandon
Head, Human Nutrition Unit
All India Institute of Medical Sciences
Ansari Nagar
New Delhi
15. Shri Hari Dang
Principal
Army Public School
New Delhi
16. Fr. Placido Fonseca
Sneha Sadan
Chakala, Andheri East
Bombay
17. Smt. Wahabuddin Ahmed
President
Bhartiya Grameen Mahila Sangh
Palam Springs Humayun Nagar
Hyderabad-28
18. Smt. Shobhana Ranade
798 Bhandarkar Institute Road
Deccan Gymkhana
Pune, Maharashtra
19. Dr. K. D. Gangrade
Department of Social Work
University of Delhi
Delhi-110 007

20-25 *Six Ministers of State Governments dealing with Child Welfare*

20. Minister-in-charge of Child Welfare,
Meghalaya
21. Minister-in-charge of Child Welfare,
Orissa
22. Minister-in-charge of Child Welfare,
Himachal Pradesh
23. Minister-in-charge of Child Welfare,
Madhya Pradesh
24. Minister-in-charge of Child Welfare,
Karnataka
25. Minister-in-charge of Child Welfare,
Maharashtra

26-27 *Two Members of Lok Sabha*

26. Smt. Kishori Sinha
Boring Road, Patna
Bihar
27. Shri N. Soundararajan
Uppathur P.O., Virthu Nagar
Kamraj District Tamil Nadu

One Member of Rajya Sabha

28. Shri A. K. Antony
K.P.C.C. (I) Office
Nandavanam Junction
Trivandrum
29. Chairman
Central Social Welfare Board
Parliament Street, New Delhi
30. Director
National Institute of Public Cooperation and Child Development

MEMBER-SECRETARY

31. Secretary
Department of Women and Child Development

4. The functions of the Board shall be :—

(i) to plan and review the implementation of the programmes connected with the activities for the welfare of children;

(ii) to coordinate the efforts made by different governmental and private agencies in implementing programmes for the welfare of children;

(iii) to locate gaps in the existing services and suggest measures to eliminate such gaps;

(iv) to suggest, from time to time, any changes needed in the priorities accorded to the different programmes; and

(v) to act as a high powered national body to symbolise the commitment of the nation to the welfare and development of children.

5. The term of the Standing Committee as presently constituted is also extend upto 26 May 1989, with the following composition :

CHAIRMAN

1. Minister of State in the Departments of Youth Affairs, Sports and Women & Child Development

MEMBERS

2. Minister of State for Finance
3. Member-in-charge of Child Welfare in Planning Commission
4. Deputy Minister of Health and Family Welfare
5. Minister-in-charge of Child Welfare in Kerala
6. Additional Secretary (School Education) Department of Education
7. Additional Secretary and Commissioner of Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare
8. Chairman
Central Social Welfare Board
9. Director
National Institute of Public Cooperation and Child Development
10. President
Indian Council for Child Welfare

MEMBER-SECRETARY

11. Secretary
Department of Women and Child Development

Other terms and conditions mentioned in the earlier Resolution No. 1-1/86-CW, 27 May 1986 remain unchanged.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. R VENUGOPAL
Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRI. AND COOP.)

New Delhi, the 20th December 1988

RESOLUTION

No. 1-14/87-LDT.—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 30-3-1988, it has been decided to extend the term of the Special Advisory Committee which has been constituted to suggest measures for promotion of indigenous breeds of horses, by a period of 6 months i.e. till 29-3-1989.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Union Territories, all concerned Ministries/Departments of Government of India, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, the Planning Commission, Controller and Auditor General of India, Accountant General and ICAR.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. V. GIRI, Addl. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 20th December 1988

RESOLUTION

No. 1401/77/86-TV(I).—In partial modification of the Ministry's Resolution No. 1401/77-86-TV(I) dated the 28th September, 1987, the Government of India have decided that the proposals for purchase of equipment cleared by the Special Committee headed by Secretary (I&B) for direct import by Doordarshan/All India Radio shall not be referred to the Committee headed by the Chief Controller of Imports & Exports as the same can be imported by the aforesaid two media on Open General Licence (OGL) basis in accordance with the provisions set out in the Imports and Exports Policy for the year 1988—91. However, the Committee headed by the Chief Controller of Imports & Exports shall continue to clear the import licences in respect of the equipment recommended by the Special Committee for import by the Public Sector Undertaking (manufacturing equipment for use of Doordarshan/All India Radio) where the existing collaboration agreements favour import of completing items.

2. However, in respect of equipment decided by the Special Committee to be indigenised, the appropriate applications shall be continued to be made, as provided in this Ministry's Resolution of even number dated the 28th September, 1987 to the Supplementary Licencing Committee so that Phased Manufacturing Programmes (PMPs) are gone into, approved and regularly monitored.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. SINHA
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1989